Would Bank assistance for drinking water in M.P.

3609. SHRI AJIT P. K. JOGI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the amount given bythe World Bank for

(b) the drinking water projects in Madhya

(c) Pradesh during thelast three years, year-wise

(d) , and till date;and

(e) whether Government have finalised any proposal sent by the State Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI UPENDRA NATH VERMA) : (a) There is no on-going World Bank assisted drinking water supply project in Madhya Pradesh.

(b) No project for drinking water supply for World Bank assistance has been received from the State Government of Madhya Pradesh.

आदिवासी क्षेत्रों में सप्लाई किए गए खाद्यान्न के लिए मार्जिन में वृद्धि

3610. **श्री अजीत जोगी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के लिए रियायती दरों पर राज्यों को सप्लाई किए गए खाद्यान्न के लिए चार वर्ष पूर्व प्रति क्विंटल 25 रुपये का मार्जिन निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मार्जिन राज्यों से सूचना प्राप्त करने के पश्चात् और वास्तविक खर्च को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि राज्यों ने इस मार्जिन में संशोधन करने के लिए कहा है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ङ) क्या यह सच है कि मार्जिन में किसी भी वृद्धि की अनुमति नहीं दी गई है; और

(च) क्या निर्धारित किया गया यह मार्जिन राज्य सरकारों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय से कम है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों और आदिवासी बहुल राज्यों में दिसम्बर, 1985 से विशेष रूप से राज्य सहायता प्राप्त मूल्यों पर गेहूं और चावल की आपूर्ति करने की योजना शुरू करने से ऐसी दरों पर केन्द्रीय समन्वित आदिवासी विकास परियोजना निर्गम मूल्यों के संदर्भ में निश्चित खुदरा मूल्य निर्धारित किए गए हैं जिससे ढुलाई और वितरण प्रभारों आदि को पूरा करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को 25/- रुपए प्रति क्विंटल का मार्जिन दिया जा सके ।

(ख) इस मार्जिन के बारे में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा वितरण की औसत अनुमानित लागत का समुचा दृष्टिकोण अपनाने के बाद निर्णय किया गया था ।

(ग) से (च) कुछ राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों ने सूचित किया है कि 25/- रुपये प्रति क्विंटल का मार्जिन सामान्यतया पर्याप्त नहीं है और अतिरिक्त लागत उन्हें वहन करनी पड़ रही है । तथापि, केवल कुछके अपवादों को छोड़कर, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों ने उपभोक्ताओं के लिए उन्हीं दरों पर समन्वित आदिवासी विकास परियोजना